(47)
110

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष– आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 8–दो/07 विरूद्ध आदेश, दिनाक 21–9–2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के अपील प्रकरण कमांक 155/अ–53/02–03

टीकाराम तनय खितई अहिरवार (मृत) वारिसानः–
1 श्रीमति बृजरानी पत्नि स्व0 टीकाराम उम्र 47 वर्ष
2 जयराम उम्र 25 वर्ष पुत्र स्व0 टीकाराम अहिरवार
दोनों निवासी ग्राम मढिया बुजुर्ग, तहसील रहली, जिला सागर म0 प्र0

.....अपीलार्थीगण

विरूद्ध

1 म0 प्र0 शासन
2 राजकिशोर वल्द जगन्नाथ कुर्मी (मृत) वारिसानः–
(1) श्रीमति चंद्ररानी पत्नि स्व0 राजकिशोर उम्र 40 वर्ष
(2) मनोज तनय स्व0 राजकिशोर कुर्मी उम्र 21 वर्ष
(3) प्रदीप तनय स्व0 राजकिशोर कुर्मी उम्र 17 वर्ष
नावालिग बली तथा मॉ चंद्ररानी कुर्मी
सभी निवासी ग्राम मढिया बुजुर्ग, तहसील रहली, जिला सागर म0 प्र0

.....प्रत्यर्थीगण

श्री के0 एन0 अग्रवाल, अभिभाषक, अपीलार्थीगण
श्री कालीचरण मिश्रा, अभिभाषक, प्रत्यर्थी कमांक–2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक को पारित)

यह अपील प्रकरण कमांक 8–दो/07 राजस्व मण्डल में म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त,

सागर के प्रकरण कमांक 155/अ–53/02–03 में पारित आदेश दिनांक 21–9–2006 के विरूद्ध दायर हुआ है ।

2./ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है । प्रत्यर्थी कमांक 2 राजकिशोर तनय जगन्नाथ कुर्मी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, रेहली के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि मौजा मडियाबुजुर्ग स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 174 रकबा 0.68 हैक्टेयर में से रकबा 0.22 हैक्टेयर जो कि शासकीय अभिलेख में पानी दर्ज है प्रत्यर्थी कमांक 2 की भूमि खसरा नंबर 143 से लगी हुई है अतः आगामी बंदोबस्त अवधि तक उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जाये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 3/अ–53/01–02 में पारित आदेश दिनांक 15–7–2002 द्वारा निर्धारित भू–राजस्व का 20 गुना रूपया जमा करने प़र उपयोग करने की अनुमति संहिता की धारा 203 के तहत प्रदान की गई । इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा अपने प्रकरण कमांक 155/अ–53/02–03 में आदेश दिनांक 21–9–2006 पारित करते हुये अपीलार्थी की अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल में अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है ।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा लिखित तर्क दिये गये तथा समक्ष में भी तर्क किए गये ।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने तर्क के मौके पर पहले लिखित तर्क प्रस्तुत करें ।

प्रत्यर्थी अधिवक्ता ने अपने तर्क में कहा कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पानी की भूमि सर्वे कमांक 174 के 0.68 हैक्टेयर में से 0.22 हैक्टेयर पर प्रत्यर्थी राजकिशोर को पट्टा दिया गया था जो इश्तहार के बाद किया गया था । पट्टा भूमि सर्वे कमांक 174 से प्रत्यर्थी की अपनी भूमि सर्वे कमांक 143 लगी हुई है । अपीलार्थी पक्ष के सर्वे कमांक 172 तथा 182 से जुड़ा हुआ शासकीय रास्ता सर्वे कमांक 211 विद्यमान है ।

अतः अपीलार्थी का कोई रास्ता बंद नहीं हो रहा । यह कहते हुए उन्होंने अपील खारिज किए जाने का निवेदन किया ।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने प्रतिउत्तर में कहा कि शासकीय रास्ता सर्वे कमांक 211 उत्तर दिशा में जाकर अपीलार्थी के सर्वे कमांक 174 की सीमा से मिलकर बंद हो जाता है । इस कारण से शासकीय सर्वे कमांक 174 पर प्रत्यर्थी को दिया गया पट्टा निरस्त करना आवश्यक हो जाता है, ताकि आम रास्ता चालू रहे तथा अपीलार्थी के कुंए तक पहुँचने का रास्ता भी उन्हें मिले । इसके समर्थन में उन्होंने पटवारी नक्शा दिनांक 29–11–09 (अपर आयुक्त नस्ती पृ023) का संदर्भ लिया । उन्होंने यह भी कहा कि अपर आयुक्त फाइल के पृ0 45 पर ग्राम पंचायत के सर्व सम्मति से सर्वे कमांक 174 का उक्त पट्टा प्रत्यर्थी राजकिशोर को दिए जाने के प्रस्ताव का लेख है किन्तु इस प्रस्ताव की प्रति उपलब्ध नहीं है । उन्होंने आगे कहा कि अपर आयुक्त फाइल के पृ0 41 पर सरपंच एवं अन्य की ओर से उक्त पट्टा निरस्त किए जाने का आवेदन है, किन्तु पृ0 50 51 आदि पर इसी के खण्डन में शपथ पत्र प्रस्तुत करा लिए गये हैं । उन्होंने कहा कि संहिता की धारा 283 के अंतर्गत जन उपयोग की भूमि का किसी विशिष्ट व्यक्ति को आबंटन निषिद्ध है । इन आधारों पर निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया गया है ।

4/ प्रकरण में पूर्ण विचारोपरान्त मैं यह पाता हूँ कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उनके आदेश दिनांक 15–7–2002 में यह लिख दिया गया है कि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण उन्होंने पट्टा आबंटित किया है । भले ही अनुविभागीय अधिकारी को कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई हो, किन्तु उनकी इस कार्यवाही के संबंध में किसी को कोई आपत्ति नहीं होने के बिन्दु से इसलिए सहमत नहीं हुआ जा सकता क्योंकि इस पट्टे के विरूद्ध अपीलार्थीपक्ष को आपत्ति रही है जिसे लेकर वे राजस्व मण्डल तक में आये है । साथ ही अपर आयुक्त फाइल के पृ041 पर सरंपच एवं अन्य की ओर से उक्त पट्टा निरस्त किए जाने का आवेदन भी है । संहिता की धारा 203 (2) में ऐसी

भूमि का निपटारा सार्वजनिक सुविधा आदि का सम्यक ध्यान रखते हुए किए जाने का उल्लेख भी है ।

पटवारी नक्शा दिनांक 29–11–09 (अपर आयुक्त नस्ती पृ0 23) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सर्वे कमांक 211 का शासकीय रास्ता उत्तर दिशा में जाकर सर्वे कमांक 174 की सीमा पर समाप्त होता है । इसके प्रकाश में, अपर आयुक्त द्वारा उनके आक्षेपित आदेश दिनांक 21–9–06 में निगराकार द्वारा उठाए गये इस बिन्दु का निराकरण नहीं किया गया है कि अपीलार्थी की भूमि सर्वे कमांक 182 से गांव में जाने के लिए उनके द्वारा बताया गया एक मात्र रास्ता अनवरूद्ध कैसे रहता है । साथ ही अपर आयुक्त के आदेश में अपीलार्थी द्वारा उठाए गये उसके व्यक्तिगत कुंए तक पहुंचने के रास्ते के बिन्दु पर भी स्पष्ट निराकरण उपलब्ध नहीं पाया जाता है । अपर आयुक्त न्यायालय की नस्ती में सार्वजनिक रास्ता अवरूद्ध होने एवं नहीं होने के संबंध में दस्तावेज अवस्थित हैं, किन्तु उनके आदेश में इनके संबंध में भी कोई विवेचना निष्कर्ष आदि विद्यमान नहीं हैं जबकि धारा 203 के प्रावधानों के अंतर्गत जलोढ़ भूमि के निपटारे के तारतम्य में सार्वजनिक सुविधा का सम्यक् ध्यान रखा जाना अपेक्षित है ।

5/ उपरोक्त बिन्दुओं एवं विवेचना के प्रकाश में एवं आधार पर मैं अपर आयुक्त का आक्षेपित आदेश दिनांक 21–9–06 तथा अनुविभागीय अधिकारी का विषयांकित आदेश दिनांक 15–7–02 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ तथा उन्हें निरस्त करता हूँ । साथ ही अनुविभागीय अधिकारी रहली को यह निर्देश देता हूँ कि वे अपने न्यायालय का प्रकरण कमांक 3/अ–53/01–02 पुनः खोलें, उसमें उभयपक्ष को नोटिस एवं पक्ष समर्थन का विधिवत अवसर दें, समस्त ग्राम वासियों को इश्तहार जारी कर आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर दें, मौके की स्थिति का उभयपक्ष पक्षकारों तथा ग्राम वासियों की पूर्व सूचना उपरांत उपस्थिति में जायजा लेकर स्पष्ट प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण में नये सिरे से बोलते स्वरूप का आदेश पारित करें । अनुविभागीय अधिकारी ऐसा नवीन आदेश उन्हें राजस्व मण्डल के इस आदेश की संसूचना के अधिकतम चार माह के भीतर अनिवार्यतः पारित करना सुनिश्चित करें । उभयपक्ष के

पक्षकार, उन्हें राजस्व मण्डल के इस आदेश की संसूचना अथवा अनुविभागीय अधिकारी के नोटिस की प्राप्ति (जो भी पहले हो) के अधिकतम 15 दिवस के भीतर, अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपने पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हों ताकि अनुविभागीय अधिकारी नियत समयावधि में प्रकरण का निराकरण कर सकें, जो उनके द्वारा बगैर समुचित कारण के न किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी प्रकरण में विधि अनुसार आगे की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे ।

आदेश पारित ।
पक्षकारगण एवं अनुविभागीय अधिकारी, रहली सूचित हों ।
आदेश प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस हों ।
प्रकरण दा0द0 हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर